कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

पत्रांकः एन0टी0सी0पी0 / 2019–20 / 261 दिनांकः 12.07.2019

प्रेषित,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरकाशी।

विषयः राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह में किये गये चालान / अर्थदण्ड रिपोर्ट उपलबध कराने विषयक।

दिनांक 08.07.2019 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित की गयी संवेदीकरण बैठक में नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी विभागों के कार्यालय में चालान / अर्थदण्ड रसीद पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है किन्तु विभागों द्वारा मासिक रिपोर्ट उपलब्ध नही करायी जा रही है।

उक्त के सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्यके माह में किये गये चालान / अर्थदण्ड की मासिक रिपोर्ट कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) की सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध से सम्बन्धित नियम धारा–4 का अनुपालन करते हुये अपने विभागीय परिसर को धूम्रपान रहित बनाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

पृं0सं0: एन0टी0सी0पी0 / 2019–20 / 261 दिनांकित्।

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner